न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 1/2012 (डूंगरपुर डिक्री)

1. अरविन्द सिंह पिता राय सिंह जी राजपूत, निवासी निठाउवा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. रितुराज सिंह पिता राय सिंह जी राजपूत, निवासी निठाउवा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. हितेन्द्र सिंह पिता राय सिंह जी राजपूत, निवासी निठाउवा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
4. तेजपाल सिंह पिता राय सिंह जी राजपूत, निवासी निठाउवा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
5. श्रीमती धन कुंवर बेवा राय सिंह जी राजपूत, निवासी निठाउवा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
6. लक्कीराज सिंह पिता विश्वनाथ सिंह जी राजपूत, निवासी निठाउवा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. नानालाल पिता पन्नालाल जी बोहरा, निवासी निठाउवा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. शान्तिलाल पिता रकबचन्द जी जैन, निवासी निठाउवा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. मोहनलाल पिता जवेरचन्द जी जैन, निवासी निठाउवा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
4. भंवरलाल पिता लालचन्द जी जैन, निवासी निठाउवा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
5. लक्ष्मणलाल पिता लालजी सुथार, निवासी निठाउवा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
6. अम्बालाल पिता शंकरलाल जी नाई, निवासी निठाउवा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
7. गुलाबचन्द पिता शंकरलाल जी जैन, निवासी निठाउवा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)

8. सूरजमल पिता रतनलाल जी जैन, निवासी निठाउवा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
9. चम्पालाल पिता शंकरलाल जी जैन, निवासी निठाउवा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
10. रूपजी पिता नाथुलाल जी जैन, निवासी निठाउवा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
11. शान्तिलाल पिता बसन्तलाल जी जैन, निवासी निठाउवा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
12. श्रीमती महेन्द्र कुंवर पिता रायसिंह जी राजपूत पत्नी बलवन्त सिंह जी राजपूत, निवासी साकरोदा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
13. श्रीमती लक्ष्मी कुंवर पिता रायसिंह जी राजपूत पत्नी स्वर्गीय भूपेन्द्र सिंह जी राजपूत, निवासी साकरोदा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
14. श्रीमती लक्ष्मी कुंवर पिता रायसिंह जी राजपूत पत्नी बलबद्र सिंह जी राजपूत, निवासी साकरोदा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
15. श्रीमती सज्जन कुंवर पिता रायसिंह जी राजपूत पत्नी दिग्पाल सिंह जी राजपूत, निवासी ओडा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
16. श्रीमती पुष्पेन्द्र कुंवर पिता रायसिंह जी राजपूत पत्नी सिद्धराज सिंह जी राजपूत, निवासी नरोडा, अहमदाबाद (गुजरात)
17. श्रीमती नरेन्द्र कुंवर पिता रायसिंह जी राजपूत पत्नी हरिचन्द्र सिंह जी राजपूत, निवासी धरणावत, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
18. श्रीमती हीरा कुंवर पत्नी भारत सिंह जी राजपूत, निवासी आनन्दपुरी, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.)
19. श्रीमती भगवती कुंवर पत्नी देवी सिंह जी चौहान, निवासी देवला, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
20. वालचन्द पिता ऊँकारिया जी मीणा, निवासी पाल निठाउवा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
21. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, आसपुर
दिनांक 20.07.2011 प्र.सं. 03/2010

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री सम्पतलाल बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण

2– श्री खेमराज डांगी अभि.रे.सं. 1 से 6 व 8 से 10

3– राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 21

———::———

निर्णय **दिनांक 05–12–2017**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 11 द्वारा व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 12 से 19 के पूर्वज श्री रायसिंह जी, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 20 व सरकार के विरूद्ध एक वाद अर्न्तगत धारा 91, 92–ए, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा धारा 125 व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम निठाउवा में स्टेट टाईम से तालाब बना हुआ है, जो तालाब पूर्बिया के नाम से पुकारा जाता है। तालाब ग्रामवासियों द्वारा बनाया गया है। जमाबन्दी संवत् 2008 में तालाब ठिकाना खास के खाते दर्ज होकर तालाब का आराजी नंबर 440 रकबा 76 बीघा 10 बिस्वा होकर गैरमुस्तकिल था तथा इसी तालाब की पाल आराजी नंबर 358 का संवत् 2008 में रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा होकर बिलानाम गैर काबिल पालबन्दा दर्ज था। बन्दोबस्त संवत् 2018 में साबिक आराजी नंबर 440 तालाब के हाल आराजी नंबर 412/1 मोतिया तलाई के नाम से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से रकबा 74 बीघा 16 बिस्वा रोहन 1 गैर मु0 अंकित हो गया, जबकि साबिक आराजी नंबर 440 तालाब के नाम से जाना जाता था तथा साबिक आराजी न ंबर 358 पालबन्दा का आराजी नंबर 413 कायम होकर रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा बिलानाम गैर काबिल काश्त पाल दर्ज रेकार्ड हो गया। हाल जमाबन्दी संवत् 2056 से 2059 में आराजी नंबर 413 बिलानाम सरकार पाल रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा दर्ज है तथा आराजी नंबर 412/1 प्रतिवादी संख्या 1 के खाते होकर रकबा 26 बीघा 16 बिस्वा रोहन 1 दर्ज है। तालाब नाली पूर्णिया रकबा 76 बबीघा 10 बिस्वा गांवाई तालाब था जिसका उपयोग गांव निठाउवा एवं आस–पास के गांवों के मवेशियाों के पानी पीने के काम आता था तथा लोग तालाब में नहाते धोते थे। तालाब सार्वजनिक उपयोग का होने से संवत् 2008 में तालाब की पाल बिलानाम गैर काबिल काश्त पालबन्दा दर्ज की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 गांव के जागीरदार होने से उक्त तालाब को खुद काश्त में दर्ज करा लिया तथा तालाब का नाम पूर्णिया तालाब के बजाय मोतिया

तालाब दर्ज करा दिया तथा तालाब की भूमि जो पेटा तालाब होती है, के 50 बीघा भूमि का सार्वजनिक हितों पर कुठाराघात करते हुए विक्रय कर दिया, जबकि तालाब की भूमि विक्रय करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था तथा साबिक आराजी नंबर 358 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा में से 1 बीघा 16 बिस्वा भूमि प्रतिवादी ने अपने खाते की आराजी नंबर 412/1 रोहन में सम्मिलित करा दिया। हाल आराजी नंबर 413 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा पाल बिलानाम सरकार है, का साबिक बन्दोबस्त में आराजी नंबर 358 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा था, वादीगण बदस्तूर रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा कायम करने का निवेदन करते हैं तथा इस रकबे में से 1 बीघा 16 बिस्वा जो गलती अथवा प्रतिवादी संख्या 1 की कारगुजारी से प्रतिवादी संख्या 1 की आराजी नंबर 412/1 में समाविष्ठ हो गया है या अन्य आराजी प्रतिवादी के खाते दर्ज हो गयी है, उसे प्रतिवादी के खाते से हटाकर बिलानाम आराजी नंबर 413 पाल में सम्मिलित कराने के वादीगण अधिकारी हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ने आराजी नंबर 412/1 रकबा 26 बीघा 16 बिस्वा रोहन 1 का रकबा 2 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 2 को दिनांक 11–05–2011 को विक्रय कर दिया है, जो साबिक आराजी नंबर 358 पालबन्दा का भाग है, प्रतिवादी संख्या 2 भू–खण्ड क्रय कर पालबन्दा/पाल को तोडकर तालाब का पाली निकाल देना चाहते हैं इसलिए सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि प्रतिवादीगण को स्थाई एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा से रोका जावे। आराजी नंबर 358 व 412/1 का विक्रय नहीं किये जाने की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना भी वांछनीय है।

निवेदन किया कि साबिक आराजी नंबर 440 रकबा 76 बीघा 10 बिस्वा तालाब नामी पूर्णिया जिसका हाल आराजी नंबर 412/1 रकबा 26 बीघा 16 बिस्वा सार्वजनिक तालाब के रूप में उपयोग–उपभोग स्टेट के समय से होता चला आ रहा है तथा तालाब की पाल आराजी नंबर 358 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा हाल आराजी नंबर 413 पालबन्दा रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा बिलानाम घोषणा करायी जावे तथा आराजी नंबर 412/1 तथा आराजी नंबर 413 पालबन्दा को विक्रय नहीं करने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे। आराजी नंबर 358 जिसके हाल आराजी नंबर 413 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा होकर आरजाी नंबर 412/1 रकबा 26 बीघा 16 बिस्वा मोतिया तलाई में सम्मिलित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में आराजी नंबर 358 पालबन्दा की 2 बिस्वा भूमि विक्रय दिनांक 11–05–2001

को अवैध है, प्रतिवादी भूमि खुल्ली नहीं करें एवं निर्माण नहीं करे पालबन्दा पाल को नहीं तोड़े इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

उपरोक्त वाद पत्र दर्ज होने पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि स्टेट टाईम में यदि गांव में तालाब बना है तो वह प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वजों के द्वारा स्वयं के खर्चे से बनाया गया है, क्योंकि वे जागीरदार थे। प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि के मालिक काबिज हैं। साबिक आराजी नंबर 440 की पूर्णिया तालाब के नाम से जानने की बात गलत है। प्रतिवादी संख्या 1 को अपने स्वत्व की भूमि को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है, वादीगणों को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। वादीगण खसरा नंबर 413 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा बदस्तूर जारी करने के अधिकारी नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा क्रय किया गया भूखण्ड प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी भूमि से क्रय किया गया है। वहां कोई तालाब की पाल नहीं है न ही वादीगण प्रतिवादी संख्या 2 को उसके क्रय शुदा भूखण्ड के उपयोग–उपभोग के रोकने के अधिकारी हैं। वादीगण किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार 11 तनकियात कायम की गयी :–

1. आया मौजा निठाउवा के बन्दोबस्त संवत् 2008 के अनुसार आराजी नंबर 358 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा किस्त पाल की भूमि में से 1 बीघा 16 बिस्वा भूमि संवत् 2018 सेटलमेन्ट में प्रतिवादी के खाते की आराजी नंबर 412/1 रकबा 74 बीघा 16 बिस्वा किस्म मोतिया तालाब में शामिल की गई ? ..... वादीगण
2. आया किस्म पाल की वाद वर्णित भूमि प्रतिवादी के खाते की शेष भूमि रकबा 412/1 रकबा 26 बीघा 16 बिस्वा में से 1 बीघा 16 बिस्वा भूमि आती है ? ..... वादीगण
3. आया वादीगण प्रतिवादी की आराजी नंबर 412/1 रकबा 26 बीघा 16 बिस्वा में से 1 बीघा 16 बिस्वा पाल की भूमि आराजी नंबर 413 में सम्मिलित कराने के हकदार हैं ? ..... वादीगण

4. आया प्रतिवादी के नाम संवत् 2018 में आराजी न ंबर 412/1 रकबा 74 बीघा 16 बिस्वा किस्म तालाब होकर उसमें पानी भरा रहा जो वर्तमान में तालाब है ? ..... वादीगण

5. आया राजस्व अभिलेख में किस्म तालाब की भूमि को रोहन दर्ज किया गया ? ..... वादीगण

6. आया प्रतिवादी को अपने खाते की आराजी नंबर 412/1 में भूमि विक्रय नहीं करने स्थाई निषेधाज्ञा से वादीगण या कराने के हकदार हैं ? ..... वादीगण

7. आया वाद वर्णित भूमि का वाद लाने का जनहित अधिकार वादीगण को नहीं है ? ..... प्रतिवादी

8. आया आराजी नंबर 413 की भूमि किस्म पाल प्रतिवादी की आराजी नंबर 412/1 में शामिल नहीं है ? ..... प्रतिवादी

9. आया प्रतिवादी संख्या 2 को विक्रय की गयी भूमि पाल की नहीं होकर प्रतिवादी संख्या 1 के खाते की आराजीयात है ? ..... प्रतिवादी

10. आया प्रतिवादी के नाम दर्ज आराजी नंबर 412/1 रकबा 74 बीघा 16 बिस्वा किस्म मोतिया तालाब सार्वजनिक उपयोग का नहीं था तथा वर्तमान शेष भूमि के अनुसार केई भूमि का स्थानान्तरण किया गया ? ..... प्रतिवादी

11. दादरसी ?

प्रकरण में वादीगण की साक्ष्य में मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। प्रकरण में दिनांक 21–07–2008 को अपीलान्ट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। दिनांक 20–07–2011 को अधिनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों का विवेचन करते हुए निम्नानुसार निर्णय पारित किया :–

''वाद वादीगण स्वीकार कर इस आशय की घोषणा की जाती है कि ग्राम निठाउवा के साबिक आराजी नंबर 440 रकबा 76 बीघा 10 बिस्वा हाल आराजी नंबर 412/1 रकबा 26 बीघा 16 बिस्वा सार्वजनिक तालाब के उपयोग की भूमि है व साबिक आराजी नंबर 358 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा हाल आराजी नंबर 413 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा तालाब

की पाल की भूमि है। आराजी नंबर 412/1 रकबा 26 बीघा 16 बिस्वा में से 1 बीघा 16 बिस्वा भूमि कम कर साबिक आराजी नंबर 358 हाल आराजी नंअर 413 में सम्मिलित की जावे। प्रतिवादी संख्या 2 के आराजी नंबर 358 में दिनांक 11–05–2001 को विक्रय भूमि का विलेख वादीगण के हितों के मुकाबले शून्य व बेअसर है। प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाता है कि साबिक आराजी नंबर 358 पालबन्ध पाल को तोड़कर अथवा अन्य किसी प्रकार से पानी नहीं निकाले। सार्वजनिक उपयोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें। रेकार्ड उपरोक्तानुसार शुद्धि की जावे।''

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 20–07–2011 से रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 27–01–2012 को प्रस्तुत की गयी।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पिता रायसिंह जी पक्षकार थे, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, जिसके स्थान पर प्रार्थीगण की नामकायमी नहीं करायी गयी, न ही उन्हें कोई सूचना दी गयी, न ही उन्हें सुना गया इस कारण उक्त डिक्री नल एण्ड वोईड है एवं ऐसे मामलों में मयाद का बिन्दु लागू नहीं होता है। प्रार्थीगण को दिनांक 10–01–2012 को पटवारी हल्का ने बताया कि उनकी जमीन बिलानाम सरकार दर्ज कर रहे हैं, तब प्रार्थीगण ने नकल हेतु आवेदन किया एवं नकल दिनांक 12–01–2012 को प्राप्त हुई, उसके बाद तुरन्त वकील से सम्पर्क कर अपील पेश कर दी है। अतएवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ अखण्डित शपथ पत्र, व्यक्त कारणों एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर किये जाने के बाद रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 6 व 8 से 10 की ओर से वकील श्री खेमराज डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 21 राज्य सरकार की ओर से राजकीय अभिभाषक हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया गया एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय एवं विधि के विपरीत है। रायसिंह जी का स्वर्गवास काफी समय पूर्व हो चुका था तथा उनके स्वर्गवास के बाद उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गयी, इस कारण डिक्री नल एण्ड वोईड है। राजस्व न्यायालय को किसी भी विक्रय पत्र को नल एण्ड वोईड घोषित करने का अधिकार नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय को राजस्थान टीनेन्सी एक्ट एवं राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत दोनों एक्ट की धाराओं में एक साथ कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। आराजी नंबर 440 व 358 अपीलान्टगण के खातेदारी की होकर उनका कब्जा है, सार्वजनिक उपयोग की भूमि नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। रायसिंह की मृत्यु पर उनके वारिसान की नाम कायमी नहीं करवायी गयी है तथा मरे हुए व्यक्ति के खिलाफ डिक्री पारित कर दी है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो पाया उक्त पत्रावली दिनांक 16–04–2010 को उपखण्ड अधिकारी सागवाड़ा से स्थानान्तरित होकर उपखण्ड अधिकारी आसपुर को प्राप्त हुई। इसके बाद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण को सूचना दी गयी हो, ऐसे कोई तथ्य रेकार्ड पर नहीं है। दिनांक 21–07–2010 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं। प्रतिवादीगण/अपीलान्टगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के बाद सिर्फ वादीगण/रेस्पोन्डेन्टगण की साक्ष्य के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर दिया गया है, जिससे स्पष्ट है की अपीलान्टगण के पूर्वजों को सूचना दिये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया गया है, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है।

प्रकरण में वादी/रेस्पोन्डेन्ट पर यह जिम्मेदारी थी की यदि इस दौरान अपीलान्टगण के पूर्वज की मृत्यु हो गयी थी तो उनके कायम मुकाम को रेकार्ड पर लेते। प्रतिवादी रायसिंह की मृत्यु कब हुई एवं उनके कायम मुकाम क्यों नहीं कराये गये, इस बाबत् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विवेचन नहीं किया गया है। धारा 88 के तहत किसी भूमि को सार्वजनिक भूमि घोषित किया जा सकता है अथवा नहीं इस बाबत् अपीलान्ट द्वारा न्यायिक नजीर 2006–07 (Supp.) पेज 515 प्रस्तुत की गयी है, जिसके तहत न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार पर भी विवेचन किया जाना होता है, जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया हैं

समग्रता हम इस प्रकरण में यह पाते हैं कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अत्यन्त जल्दबाजी में अपीलान्टगण के पूर्वजों को बिना सूचना दिये एवं बिना सुने निर्णय पारित कर दिया गया है, जिसमें कायम मुकाम व भूमि के सार्वजनिक घोषित किये जाने बाबत् अपने क्षेत्राधिकार पर भी विवेचन नहीं किया गया है तथा प्रकरण में नातिक निर्णय पारित नहीं किया गया है। तद्नुसार हम अधिनस्थ न्यायालय को तथ्यात्मक अथवा विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 20–07–2011 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रतिवादीगण/अपीलान्टगण को पुनः सुनकर, उनकी साक्ष्य लेकर प्रकरण में तनकीवार निर्णय पारित करें ताकि प्रकरण का नातिक निष्पादन हो सके।

पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 05–02–2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 05–12–2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

तेजकरण के बजाय नन्दकिशोर पिता स्वर्गीय तेजकरण जैन, निवासी माल, त्ह0 आसपुर, जिला डूंगरपुर व अन्य बनाम **नानालाल पिता अमरचन्द महाजन निवासी माल, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर व अन्य**

अपील नं.....**20 / 2015**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**आसपुर**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....29**.....माह.....**04**.....**2015**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**05**.....माह.....**.12**.....सन् **2017** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री एस.एस. सोलंकी**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री बी.एल. पण्डया**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29–04–2015 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**05**.....माह.....**.12.**.....**2017** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।